



सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(7070)/सूप्रौ./संस्था/16/पार्ट-2/00868/2021 जयपुर, दिनांक 16/02/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में स्वयंपाठी/पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	1858	श्री रोहित पारेता	ब्लॉक कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पं.स. अकलेरा (झालावाड)	MCA 2020-21	Jaipur National University, Jaipur
2	2522	श्री रमेश जांगिड	कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	PGDCL(Post Graduate Diploma in Cyber Laws)2020-21	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
3	New Batch 2018	श्री रविशंकर राजपूत	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय- जयपुर	MCA 2020-21	Jaipur National University, Jaipur

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों, को राजस्थान सिविल सेवाएँ(आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य मे किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृती प्राप्त करें।

Sd/-  
(विवेक कुमार)  
विशेषाधिकारी(यूआईडी) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

विशेषाधिकारी(यूआईडी) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)